

## डिस्कलेमर

आदेश संख्या 16/2021-22 के मुख्य पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

आदेश संख्या 16/ 2021-22



## भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मैसर्स इंडियन ऑयल स्कार्फैंटिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसपीएल) के लिए कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलोर में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए इंटो प्लेन सेवाएं (आईटीपी) प्रदान करने के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में

जारी करने की तारीख : 15 सितम्बर, 2021

ऐरा भवन

प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स

सफदरजंग हवाईअड्डा

नई दिल्ली – 110003

### अध्याय 13. प्राधिकरण के निर्णयों का सार

आईओएसपीएल, बैंगलोर के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी प्राधिकरण के निर्णयों (प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत दिए गए) का सार इस प्रकार है:

अध्याय और पैरा	प्राधिकरण के निर्णयों का सार		पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.7.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, बैंगलोर के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए 'सिंगल टिल' आधार पर "प्राइस कैप अप्रोच" अपनाने का निर्णय लेता है।	18
अध्याय संख्या 3	3.5.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, बैंगलोर के लिए तालिका 6 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ईंधन श्रूपट पूर्वानुमान मानने का निर्णय लेता है।	23
	3.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि में होने वाली ईंधन की वास्तविक बिक्री के आधार पर ईंधन श्रूपट (मात्रा) को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 4	4.5.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, बैंगलोर के लिए तालिका 10 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय को मानने का निर्णय लेता है।	29
	4.5.2	प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईओएसपीएल पूंजीगत परिव्यय योजना का पालन करता है, अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण कार्य के दौरान तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टूअप कार्य में कोई भी विशिष्ट कैपेक्स पूंजीकरण की समय-सारणी के अनुसार पूर्ण न होने पर एआरआर/लक्ष्य राजस्व से पूंजीकृत न किए गए कैपेक्स की 1% लागत पुनर्संरचना के रूप में कम करने का प्रस्ताव करता है।	
	4.5.3	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर कैपेक्स को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 5	5.4.1	प्राधिकरण तालिका 12 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यहास को मानने का निर्णय लेता है।	31
	5.4.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर मूल्यहास को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 6	6.4.1	इसलिए प्राधिकरण उपर्युक्त को ध्यान में रखकर तालिका 15 में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) को मानने का निर्णय लेता है।	33
अध्याय संख्या 7	7.4.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, बैंगलोर के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 14% उचित प्रतिलाभ दर (एफआरओआर) को मानने का निर्णय लेता है।	34
अध्याय संख्या 8	8.5.1	प्राधिकरण तालिका 16 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अन्य आय को मानने का निर्णय लेता है।	36
	8.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर अन्य आय को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 9.	9.5.1	प्राधिकरण तालिका 24 में दर्शाए अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को मानने का निर्णय लेता है।	43
	9.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को टूअप करने का निर्णय लेता है।	

<b>अध्याय संख्या 10</b>	10.5.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, बैंगलोर के लिए तालिका 28 में दर्शाए अनुसार एआरआर के निर्धारण के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान के प्रावधान को मानने का प्रस्ताव करता है।	46
	10.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तव में अदा किए गए कर के आधार पर कराधान के प्रावधान को टूअप करने का प्रस्ताव करता है।	
<b>अध्याय संख्या 11</b>	11.5.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, बैंगलोर के लिए तालिका 33 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानने का निर्णय लेता है।	51
	11.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर एआरआर को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
<b>अध्याय 12</b>	12.5.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, बैंगलोर के लिए संलग्नक-I के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि (1.10.2021 से 31.03.2026) के लिए टैरिफ दर मानने का निर्णय लेता है।	55

## अध्याय 14. आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आदेश देता है कि:

- (i) आईओएसपीएल, बंगलौर को तृतीय नियंत्रण अवधि (01 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) के लिए संलग्नक- I में दिए गए टैरिफ कार्ड के अनुसार इंटो प्लेन सेवाओं के लिए टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी जाती है।
- (ii) नई टैरिफ 01 अक्टूबर, 2021 से लगाई जाएगी।
- (iii) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरें उच्चतम दरें हैं और इनमें यथा लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- (iv) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)  
सचिव

सेवा में,

श्री टी.एम.दुपारे  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
इंडियन ऑयल स्काइटेंकिंग प्राइवेट लिमिटेड,  
बैंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा देवनहल्ली,  
बैंगलोर - 560 300

प्रतिलिपि :

### 1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय

राजीव गांधी भवन,  
सफदरजंग हवाईअड्डा ,  
नई दिल्ली – 110 003.

### 2. श्री हरी मरार,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
बैंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड,  
कैफेगौडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बंगलौर, देवेनहल्ली,  
बैंगलोर – 560300, भारत



